राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3559/2024

सुभाष चन्द्र यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहरा, सीकर।
5. विकास बाजिया, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहरा, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.12.2024
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री संजीव सिंघल/सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहडा, सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोछोर ब्लॉक पलसाना जिला सीकर में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.09.2024 और 27.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को यह कहते हुए अधिशेष घोषित किया गया था कि अपीलार्थी को उसी स्कूल में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति के कारण अधिशेष बनाया गया था, जबकि नियमों के अनुसार बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का पद अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह पद केवल हिंदी माध्यम स्कूल के लिए है और कम्प्यूटर शिक्षक का पद एमजीजीएस स्कूल के लिए मौजूद है। अपीलार्थी को साक्षात्कार के माध्यम से चुना गया था और वह एक प्रशिक्षित शिक्षक है और निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 एमजीजीएस स्कूल

के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है क्योंकि उसे साक्षात्कार प्रक्रिया के बिना चुना गया था। उपरोक्त आदेश दिनांक 27.11.2024 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 59 पर अंकित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी आधार के अधिशेष घोषित किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षक का पद खाली पड़ा है। केवल प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुचित लाभ देने के लिए अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.09.2024 द्वारा अवैध रूप से अधिशेष घोषित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है, जो कि नियमित कर्मचारी है क्योंकि अपीलार्थी का चयन वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान स्थान पर हुआ था और वह अधिशेष कर्मचारी नहीं है क्योंकि वह एक नियमित कर्मचारी है। कनिष्ठ उम्मीदवारों को अधिशेष करने के निर्देश है जबकि अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, जिसे नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिशेष घोषित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 हिंदी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नयाबास, सीकर में हुई थी। अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहरा, सीकर के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षक के रूप में चुना गया, जिसके अनुसार उसने आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यभार ग्रहण किया। आदेश दिनांक 13.04.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को भी उसी स्कूल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहरा (कोटारी धायलान), सीकर में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। उनका चयन एमजीजीएस की प्रक्रिया का पालन किए बिना और साथ ही विभागीय नियम/दिशानिर्देशों का पालन किए बिना किया गया था क्योंकि एमजीजीएस के लिए बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का कोई पद नहीं है क्योंकि एमजीजीएस स्कूल के लिए केवल कम्प्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत हैं। अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया उत्तीर्ण करने के बाद उचित माध्यम से हुआ था और महात्मा गांधी विद्यालय के लिए प्रशिक्षित शिक्षक होने के बावजूद उसका चयन किया गया, इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध रूप से अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहडा, सीकर में नियमित वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के पूर्व पदस्थापन स्थान पर अपीलार्थी कार्मिक के अधिशेष होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी कार्मिक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोछोर ब्लॉक पलसाना जिला सीकर में पदस्थापित किया गया है तथा अपीलार्थी कार्मिक द्वारा उक्त विद्यालय में दिनांक 20.12.2024 को कार्यग्रहण भी कर लिया गया है।

अपीलार्थी के शाला दर्पण प्रपत्र की प्रति अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत कर कार्मिक को पदस्थापित किया गया है जो कि राज्य सरकार का नियमित कार्मिक है। जूनियर एवं सीनियर की तुलना समान पदो के सन्दर्भ में की जानी है परन्तु अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 के मूल पद पृथक–पृथक होने के कारण उक्त तुलना संभव नहीं है साथ ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 को विद्यालय में स्वीकृत पद एवं विषय पर ही पदस्थापित किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में बेसिक कम्पयूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत किया गया है तथा राज्य में प्रथम बार बेसिक कम्पयूटर अनुदेशक के पद पर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है ऐसी स्थिति में वर्णित नियमों के नियम–15 के तहत बेसिक कम्पयूटर अनुदेशक को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आभावाला जोहरा ब्लॉक खण्डेला, सीकर में अपीलार्थी के मूल पद अध्यापक लेवल–2 (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2024 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। अपीलार्थी की योग्यता बी.ए. (हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल), एम.ए. (हिन्दी), बीएड तथा आरएससीआईटी है वही निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की योग्यता बी.सी.ए. एवं एम.सी.ए. है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर विषय के सन्दर्भ में उचित ज्ञान प्रदान करने की योग्यता धारित करता है वहीं अपीलार्थी स्वयं के विषय (हिन्दी) से संबंधित ज्ञान छात्र–छात्राओं को प्रदान कर सकता है। कम्प्यूटर विषय का शिक्षण करवाने हेतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 अपीलार्थी से अधिक योग्य है। अपीलार्थी प्रस्तुत अपील के माध्यम से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का कथन है कि वह अध्यापक लेवल–2 (हिन्दी) के पद पर नियुक्त है एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आभावाला जोहडा में साक्षात्कार द्वारा आदेश दिनांक 01.09.2022 द्वारा कम्प्यूटर अध्यापक ग्रेड–III के पद पर चयनित होकर कार्य कर रहा है (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस विद्यालय में कम्प्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति करने पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के कार्यग्रहण करने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष किया गया है (अनुलग्नक–1)। महात्मा गांधी विद्यालय में स्टाफ के चयन हेतु नियम 2023 नियम बने हुए है जिसके अनुसार चयन कमेटी द्वारा चयन करने के उपरान्त महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्मिकों को पदस्थापित किया जाने का प्रावधान है। उक्त नियमों की अनुसूची–I में भी क्रम संख्या 13 पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का नाम अंकित है, जिसके संबंध में महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापन हेतु निम्न पात्रता निर्धारित हैः–

S.No.	Name of the Post	Eligibility
10.	Teacher Level-2 (various subjects)	A person working on the post of Teacher Level-2 in the relevant subject.
13.	Basic Computer Instructor	A person working on the post of Basic Computer Instructor

अपीलार्थी का यह कथन है कि जो व्यक्ति पहले से बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत है उसी को नियम 2023 में गठित कमेटी द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापन हेतु चयन के पश्चात पदस्थापित किया जा सकता है। सीधे किसी व्यक्ति का पदस्थापन किया जाना नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी को अधिशेष करने की कार्यवाही नियम विरूद्ध होने के आधार पर अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। साथ ही निवेदन किया कि उक्त नियम 2023 के नियम 15 के प्रावधान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में सीधे नियुक्ति करने का प्रावधान है। अतः बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर विधिवत चयन प्रक्रिया से चयनित योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की कार्यवाही पूर्णतः नियमानुसार है। अतः जारी आलौच्य आदेश की कार्यवाही नियमानुसार है।

उभय पक्ष के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम 2023 प्रभावी किए गए है, जिसमें स्टाफ की चयन प्रक्रिया निर्धारित है। उसके द्वारा चयन समिति द्वारा चयन करने के पश्चात पदस्थापन की कार्यवाही की जाती है। अपीलार्थी हिन्दी विषय के लेवल–2 के अध्यापक है एवं विभाग के कम्प्यूटर अनुदेशकों की कमी के दृष्टिगत अपीलार्थी का साक्षात्कार से चयन कर कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर लगाया था। अब विभाग में विधिवत चयन प्रक्रिया द्वारा कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति होने से इन नव चयनित कार्मिकों का महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापन किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 नियमित चयनित कार्मिक है एवं उसका चयन कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर हुआ है। उसके कार्यग्रहण करने के फलस्वरूप अपीलार्थी अधिशेष घोषित किए गये है। नियम 23 के प्रावधानों में विशेष परिस्थिति में सीधे नियुक्ति का प्रावधान है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही में कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते है। कम्प्यूटर शिक्षा में दक्ष कार्मिक का पदस्थापन महात्मा गांधी विद्यालय में किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलार्थी बलहीन एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य